## नियम 55 : न्यायालय डायरी का अनुरक्षण

(1) पीठ का न्यायालय अधिकारी जीएसटीएटी पोर्टल पर न्यायालय डायरी बनाए रखेगा, जिसमें वह दैनिक वाद सूची में सूचीबद्ध आवेदनों या याचिकाओं या अपीलों के संबंध में प्रत्येक बैठक के लिए न्यायालय की कार्यवाही दर्ज करेगा।

(2) न्यायालय डायरी में दर्ज किए जाने वाले मामलों में यह विवरण सम्मिलित होगा कि, यथास्थिति, क्या मामला स्थगित किया गया है या आंशिक रूप से सुना गया है या सुना गया और निपटाया गया है या सुना गया और आदेश सुरक्षित रखे गए है, साथ ही, जहां भी लागू हो, अगली बैठक की तारीखें भी सम्मिलित होंगी।